

कम संख्या	दिनांक अथवा कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप में
-----------	-----------------------	----------------------

24/02/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी स. 1 लगा 14 की शर्त वाद के सम्बन्ध में तामिल दौकल शाब्दिक पत्रावली दी अतः इस प्र. पत्र के अप्रार्थी स. 1 लगा 14 की सम्बन्ध तामिल मानी जाके एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्र. पत्र अध्यापी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु विवक्षित किया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस हुई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा दोराने बहस जादिर तथ्य को ध्यानपूर्वक मन्तव्य करने के उपरान्त विवादिता कारणों के सम्बन्ध में अध्यापी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित मन्तव्य नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्र. पत्र अध्यापी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैलल कुमार दौकल नम्बर से कम है।
 सहायक फालकटर
 बस्ती जिला-जयपुर